(स्पीड पोस्ट)

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, एन.एस–बी/2, पाटलीपुत्र, औद्योगिक क्षेत्र,
पो0–सदाकत आश्रम, पटना–800010

पत्रांकः पटना, दिनांकः

प्रेषक,

एस0 चन्द्रशेखर,भा0व0से0
सदस्य–सचिव

सेवा में,

सदस्य सचिव,
राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,
बेल्ट्रोन भवन, शास्त्री नगर,
पटना–800023.

विषयः **श्रीमती रिना सिंह, पताः ग्राम+पोस्ट– सोनबर्सा, थाना– ओबरा, जिला– औरंगाबाद (ब्लॉकः 35 (गया मोरहर– 22) बालू घाट, मोरहर नदी स्थित, ग्राम– झूरी, जोंडि, कुंभी, अंचल– बांके बाजार, जिला– गया) में स्थित बालू घाट से बालू उत्खनन कार्य हेतु सम्पन्न लोक सुनवाई के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषयक के प्रसंग में सूचित करना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–S.O. 1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के आलोक में श्रीमती रिना सिंह, पताः ग्राम+पोस्ट– सोनबर्सा, थाना– ओबरा, जिला– औरंगाबाद (ब्लॉकः 35 (गया मोरहर– 22) बालू घाट, मोरहर नदी स्थित, ग्राम– झूरी, जोंडि, कुंभी, अंचल– बांके बाजार, जिला– गया) से बालू खनन हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में दिनांकः 17.11.2023 को सम्पन्न लोक सुनवाई का वृत, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नकः यथोपरि।

विश्वासभाजन

ह0/–
(एस0 चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव

ज्ञापांक :– पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नकः यथोपरि।

ह0/–
(एस0 चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव

ज्ञापांक :– पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपिः– श्रीमती रिना सिंह, पताः ग्राम+पोस्ट– सोनबर्सा, थाना– ओबरा, जिला– औरंगाबाद (ब्लॉकः 35 (गया मोरहर– 22) बालू घाट, मोरहर नदी स्थित, ग्राम– झूरी, जोंडि, कुंभी, अंचल– बांके बाजार, जिला– गया) को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नकः यथोपरि।

ह0/–
(एस0 चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव

ज्ञापांक :– 2879 पटना, दिनांक :– 21.12.23

प्रतिलिपिः–श्री नीरज कुमार, सहायक प्रोग्रामर, बि. रा. प्र. नि. पर्षद्, पटना को निदेश है कि दिनांकः 17.11.2023 को की गई लोक सुनवाई का वृत, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति पर्षद् के वेबसाईट पर डिसप्ले कराया जाय। दिनांकः 17.11.2023 को की गई लोक सुनवाई का वृत, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति संलग्न की जा रही है।

अनुलग्नकः यथोपरि।

21/12/23
(एस0 चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव

लोक सुनवाई का वृत।

श्रीमती रिना सिंह, पताः ग्राम+पोस्ट–सोनबर्सा, थाना–ओबरा, जिला–औरंगाबाद (ब्लॉकः 35 (गया मोरहर–22) बालू घाट, मोरहर नदी स्थित, ग्राम–झूरी, जोंडि, कुंभी, अंचल–बांके बाजार, जिला–गया) का गया जिला अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् दिनांक 17.11.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अंचल कार्यालय, बांके बाजार, जिला–गया के प्रागंण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2353/2023, dated 18.04.2023 के आलोक में श्री अवधेश कुमार आनंद, अपर समाहर्ता (आ0प्र0), गया (जिला पदाधिकारी, गया के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 17.11.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अंचल कार्यालय, बांके बाजार, जिला–गया में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (**अनुलग्नक–1**)

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक भास्कर एवं हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 07.10.2023 को प्रकाशित की गयी थी (**प्रतिलिपि संलग्न**)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, गया द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा ब्लॉकः 35 (गया मोरहर–22) बालू घाट, मोरहर नदी स्थित, ग्राम–झूरी, जोंडि, कुंभी, अंचल–बांके बाजार, जिला–गया के लेसी को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तदनुसार लेसी के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव मांगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष की अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राहुल कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित

Scanned with CamScanner

होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमित रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित गणमान्यों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः है:–

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री शिव शंकर सिंह, पताः सैफगंज, बांके बाजार, जिलाः गया।	इनके द्वारा बताया गया कि हमलोगो के द्वारा बालू पानी पर्यावरण बचाओ संघर्ष मोर्चा, डुमरिया, इमामगंज द्वारा हर समय इस बालू घाट का संचालन रोकने के लिए विरोध किया गया है, क्या उपाय किया गया साथ ही इनके द्वारा बताया गया कि इस इलाके में वर्षा इस वर्ष नही हुआ है, जिससे नदी में पानी नहीं है तथा पूर्व में हुये उत्खनन के दौरान बालू का उठाव काफी ज्यादा कर लिया गया है, जिसकारण कही कही पर बहुत सारे गढ़ढे हो गये हैं, जिससे ग्रामीणो के बच्चे एवं मवेशियों के डुबने का डर बना रहता है। ग्रामीणों के सिचाई करने हेतु मात्र एक नदी ही साधन है जो छोटे नहरो से जुड़ा हुआ है। यह एक पहाड़ी नदी है। इस बालू घाट की स्वीकृति नही देने की मॉग की गयी।
2.	श्री इन्द्रदेव सिंह, पताः बेचु बिगहा, बांके बाजार, जिलाः गया।	इनके द्वारा बताया गया कि जल ही जीवन है। हमलोग बहुत गरीब एवं पिछड़े लोग है, वर्तमान में इस नदी की दशा देखने योग्य है। यहॉ जीवन जीनें के लिए कृषि ही एक मात्र स्त्रोत है। यहॉ, किसी प्रकार की रोजगार की व्यवस्था नहीं है। इसप्रकार श्री सिंह के द्वारा इस बालू घाट नही चालू करने का सुझाव दिया गया।
3.	मोहम्मद आयुब अली, पूर्व जिला परिषद्, बांके बाजार, जिलाः गया।	इनके द्वारा बताया गया कि इस इलाके में वर्षा इस वर्ष नही हुआ है, जिससे नदी में पानी नहीं है तथा पूर्व में हुये उत्खनन के दौरान बालू का उठाव काफी ज्यादा कर लिया गया है, जिसकारण कही कही पर बहुत सारे गढ़ढे हो गये हैं, जिससे ग्रामीणो के बच्चे एवं मवेशियों के डुबने का डर बना रहता है। ग्रामीणों के सिचाई करने हेतु मात्र एक नदी ही साधन है। इस बालू घाट की स्वीकृति नही देने की मॉग की गयी।

Scanned with CamScanner

4.	मोहम्मद असरफ अली खॉ, पताः खैरा, बांके बाजार, जिलाः गया।	इनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में हुये उत्खनन के दौरान बहुत ही ज्यादा वायु प्रदूषण की समस्या थी, नदी का लेवल भी पैइन के लेवल से नीचे हो गया है, जिसकारण ग्रामीणो को सिचाई करने में परेशानी होती है। यहॉ ग्रामीणों के सिचाई करने हेतु मात्र एक नदी ही साधन है जो यह पहाड़ी नदी है। इस बालू घाट की स्वीकृति नही देने की मॉग की गयी।
5.	लोक सुनवाई में उपस्थित समस्त स्थानीय निवासीयों द्वारा एक स्वर में कहा गया कि इस बालू घाट में बालू नहीं है। इस घाट पर पूर्व में बहुत ज्यादा बालू का उठाव हो गया है, जिससे कही कही नदी में गढ़ढे हो गये है, जिससे ग्रामीणो के बच्चे एवं मवेशियों के डुबने का डर बना रहता है। साथ ही पूर्व में हुये उत्खनन के दौरान बहुत ही ज्यादा वायु प्रदूषण की समस्या थी, नदी का लेवल भी पैइन के लेवल से नीचे हो गया है, जिसकारण ग्रामीणो को सिचाई करने में परेशानी होती है। यहॉ ग्रामीणों के सिचाई करने हेतु मात्र एक नदी ही साधन है जो यह पहाड़ी नदी है; इस बालू घाट का नहीं चालू करने की मांग की गयी।	

जन–सुनवाई के दौरान परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर मंतव्य की मांग की गई, इनके द्वारा घाट चालू करने की स्वीकृति दिये जाने का अनुरोध किया गया।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव एवं अपर समाहर्ता, गया (जिला पदाधिकारी, गया के प्रतिनिधि) द्वारा दिये गये जानकारी को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से इस बालूघाट के खनन परियोजना को प्रारंभ करने के संबंध में अग्रेतर कारवाई हेतु सक्षम प्राधिकार को भेजने का निर्णय लिया गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्,
गया

अपर समाहर्त्ता (आ0प्र0)
गया

Scanned with CamScanner

उपस्थिति सूची

श्रीमती रिना सिंह, पताः ग्राम+पोस्ट– सोनबर्सा, थाना– ओबरा, जिला– औरंगाबाद (ब्लॉकः 35 (गया मोरहर– 22) बालू घाट, मोरहर नदी स्थित, ग्राम– झूरी, जोंडि, कुंभी, अंचल– बांके बाजार, जिला– गया) का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांकः 17.11.2023 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में अंचल कार्यालय– बांके बाजार, जिला–गया में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र0सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	अवधेश कुमार आनंद	अपर समाहर्ता (आ०प्र०) गया।	17/11/23
2.	मनोज कुमार सिंह	सर्कल अफ. जि० गया निवासी गया	17.11.23
3.	संजय कुमार अंचल अधिकारी बांकेबाजार	अंचल अधिकारी बांकेबाजार, गया	17/11/2023
4.	bhavav kumar	patna	17/11/2023
5.	योगेन्द्र कुमार	Aurangabad	Yogendra Kr
6.	Vijay Ram	Aurangabad	
7.	[illegible]	[illegible]	
8.	[illegible]	[illegible]	
9.	[illegible]	[illegible]	

Scanned with CamScanner

10.	M.M.M.A.S	गाटा, गया	M.M.M.A
11.	दुर्गेश्वर प्रसाद	गोह्रा – लेदूकिया हा	दुर्गेश्वर प्र
12.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20.	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Scanned with CamScanner

21.			8969111225
22.			6202690869
23.	किशोर प्रसाद		9334851119
24.			7654559266
25.			1348257126
26.			9006225009
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			8569760935

Scanned with CamScanner

32.			
33.	प्रेम कुमार	प्रेम कुमार पो गोलपो	
34.	गोड्डा प्रसाद	,, नालाडीह	
35.	गणेश्वर कुमार	,, नालाडीह	
36.	गणेश्वर प्रसाद	पूरी	
37.	रिमता कुमारी	रामगांव/रामगढ़ रिमता कुमारी	
38.	अंचला कुमारी	S.मामगंज (S.T.R.)	अंचला कुमारी
39.	पुतपा कुमारी	विहरवाड़ा पुरणडिह पुतपा कुमारी	
40.	[illegible]	जोड़ पोखरी	
41.	[illegible]	नालाडीह	
42.	[illegible]		

Scanned with CamScanner

43.	[illegible]	[illegible]	[illegible] 18/11/2023
44.	[illegible] Ex-Existential Bankerbat Ta--	Bankerbat Ta--	[illegible]
45.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
46.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
47.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
48.			
49.			
50.			

Scanned with CamScanner

बालू – पानी पर्यावरण बचाओ संघर्ष मोर्चा

डुमरिया, इमामगंज, बाँकेबाज़ार (गया) एवं किसान मजदूर संघर्ष

(स्थापित : 30 जून 2018 ई०)

कुआँ, पइन, नदी सुखी है, क्षेत्र की जलवायु बिगड़ी है ।
समरसिबल भी सुख गया तो, जान बचाना मुश्किल है ।।

सेवा में,

माननीय सदस्य सचिव महोदय,

बिहार राज्य पर्यावरण प्रदुषण नियंत्रण पर्षद्

बिहार सरकार, पटना ।

द्वारा- लोक सुनवाई प्रभारी पदाधिकारी सैफगंज (गया) बाँकेबाजार

विषय :- बालू घाटों की निलामी से उत्पन्न पर्यावरणीय दुष्प्रभाव के सम्बंध में लोक सुनवाई से सम्बंधित ज्ञापन ।

प्रसंग :- दैनिक हिन्दुस्तान दिनांक 07/10/2023 में प्रकाशित प्रस्तावित मोरहर नदी बालू घाट नं०-22 जूरी-जोंधी कुम्भी एवं घाट नं०-21 सैफगंज की निलामी से सम्बन्धित लोक सुनवाई की सूचना ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन सूचना के सम्बंध में कहना है कि :-

(1) गया जिला के बाँकेबाजार अंचल के मोरहर नदी घाट नं०-22 जूरी, जोंधी, कुम्भी एवं घाट नं०-21 सैफगंज, सहित सम्पूर्ण इमामगंज विधान सभा क्षेत्र की नदियाँ पहाड़ी एवं बरसाती है । तीव्र जल प्रवाह के कारण बालू के निक्षेपण की मात्रा स्थानीय उपयोग से ज्यादा नहीं है । इसकी निलामी एवं खनन से क्षेत्र का पर्यावर्णीय संतुलन बिगड़ गया है, फलतः इलाका, भूगर्भ जल संकट, भीषण गर्मी, अनावृष्टि सुखाड़ आदि प्राकृतिक प्रकोप झेलने पर विवश है ।

(2) पिछले आठ वर्षों से अनियंत्रित और अनियमित बालू के खनन से मोरहर नदी की तली की गहराई पहले से सात फीट अधिक गहरी हो गई है; फलतः यहाँ की सिंचाई के प्रमुख साधन - सैफगंज, आजमगढ़, ईटवाँ, जूरी, जोंधी इत्यादि पईनों के अलावे क्षेत्र के पच्चासों पईन निरमार हो गये हैं । यहाँ की हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि के बंजर होने का खतरा व्याप्त है ।

(3) बालू की निलामी और तस्करी के कारण क्षेत्र में भूतल जल स्तर में गिरावट से कुआँ, नदी, पर्पिंगसेट, चापाकल, झील, झरना इत्यादि जल स्त्रोत सुख चुके हैं । जल संकट की सम्भावना से लोग भयभित हैं और उनके समक्ष पलायन का संकट बढ़ गया है । उल्लेखनीय है कि अतिसंवेदनशील पशु-पक्षी, सियार, गिदड़, गरवैया, बगेरी, कौआ, जांघिल आदि का इलाका से पलायन, क्षेत्र में सम्भावित पर्यावरणीय संकट का संकेत है ।

(4) प्रकृति प्रदत्त गुणों के कारण नदी की बालू, पर्याप्त वर्षा जल को अवशोषित कर भूतल जल स्तर को कायम रखती है आंतरिक जल प्रवाह को स्वच्छ बनाती है तथा वनस्पति की हरियाली और बादल वर्षा इससे नियंत्रित होती है, प्रकृति के इस चक्र, पर्यावरण एवं क्षेत्र की जलवायु को बालू की निलामी ने प्रभावित किया है । फलतः बरसात की चारो माह वर्षाविहिन बित गई, नदियाँ, पईन नहर, इत्यादि सुखी रह गयी, धान की रोपनी बाधित रही, क्षेत्र में अकाल की काली छाया मंडरा रही है ।

(5) बिहार सरकार की टेलिमट्री रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2020 के पहले दाई महिनों में बाँकेबाजार प्रखण्ड

Scanned with CamScanner

सहित इलाके की ग्राउण्ड वाटर लेवल 15 फुट के दर से नीचे गिरा है, जो चिंता की बात है।
(प्रभात खबर पेपर कटिंग दिनांक 02/01/2020 संलग्न)

(6) पूर्व के बालू संवेदक जनहित को रौंदते हुए बिहार लघु खनिज नियमावली 2017 में निहित नियम 1 विरूद्ध भिंगी बालू का उठाव, नियम 23 के विरूद्ध बड़े मशीनों का प्रयोग, नियम 24 के विरूद्ध पुल, पईन नहर, चेक डैम, श्मशान घाट, मन्दिर इत्यादि के पास खनन, नियम, 25 के विरूद्ध, खनन पट्टा की अवहेलना नियम 25 के विरूद्ध क्षमता से अधिक बालू खनन एवं परिवहन आदि नियमों की अवहेलना करते रहे हैं जिससे पर्यावरण को भारी क्षति हुई है और स्थानीय लोग तबाह हो रहे हैं। (नियमावली अवतरण संलग्न)

(7) बालू उत्खनन से बने गहरे गढों में भरे, पानी और रेत में दर्जनों नौनिहाल डुबकर शहिद हो चुके हैं। बालू निलामी की आड़ में पुलिस की हण्टर, दिन में जरूरतमन्द जनता पर चलती है, परन्तु रात के अंधेरे में बालू की तस्करी की खुली छुट से, क्षेत्र की पर्यावरणीय प्रदुषण की वृद्धि बेलगाम हो चुकी है। ध्वनि प्रदुषण से स्थानीय नागरिकों की निंद हराम है।

(8) पर्यावरण की रक्षा एवं बालू के बचाव हेतु क्षेत्र की जनता पिछले छः वर्षों से लगातार आन्दोलित है। क्षेत्र की जनता आम सभा, रैली, गोष्ठी, जन प्रदर्शन, महिला सत्याग्रह, किसान सत्याग्रह के माध्यम से ज्ञापन समर्पित कर सरकार एवं प्रशासन को सूचित करती रही है, फिर भी बार-बार पर्यावरणीय लोक सुनवाई आश्चर्य की बात है। (ज्ञापन की छाया प्रतियाँ संलग्न)

(9) पर्यावरणीय कुप्रभाव के कारण उत्पन्न समस्या के समाधान के लिए सतत प्रबाही सोन, कोयल, मोरहर लिंक नहर का निर्माण मात्र विकल्प है। क्या सरकार और संवेदक इस पर पहल करेंगे !?

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं संलग्न साक्ष्यों के आलोक में पर्यावरण एवं जन संस्कृति की रक्षा हेतु प्रसंगाधीन बालू घाटों की निलामी के प्रस्ताव को रद्द करने की कृपा की जाय।

बालू निलामी और तस्करी बन्द करो ! बन्द करो ! बन्द करो !

भवदीय

प्रतिनिधि मण्डल

बालू-पानी पर्यावरण बचाओ संघर्ष मोर्चा
डुमरिया, इमामगंज, बाँकेबाजार (गया)
दिनांक 17-11-2020

अनुलग्नक :- (छाया)
(1) सुनवाई की सूचना की पेपर कतरन - 1 पन्ना
(2) टेलिमेट्री पेपर कटींग - 1 पन्ना
(3) खनन नियमावली अवतरण - 2 पन्ना
(4) आंदोलन ज्ञापन - 5 पन्ना
(5) महिला सत्याग्रह समझौता ज्ञापन - 4 पन्ना
(6) किसान समझौता सत्याग्रह - 3 पन्ना
(7) बच्चों की मौत पेपर कटींग - 1 पन्ना

हस्ताक्षर

1
2. शिव शंकर सिंह 27/11/20
3 क्षत्रिय कुमार पण्डा
4
6 स्मिता कुमारी
7
8
9
11 विनीता कुमारी
12 शकुन्तला कुमा.
13 द्रौपदी देवी
14 अंचला कुमारी
15 श्री अमरेन्द्र पण्डा

Scanned with CamScanner

16
17 राजेन्द्र सिंह
18 चन्द्रशेखर प्रसाद
19
20 [illegible]
21. शिवशंकर यादव
22. सिमता कुमारी
23. अर्जुन प्रसाद
24 [illegible]
25 अँचला कुमारी

Scanned with CamScanner

बिहार सरकार

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

ई–मेल- msbspcb-bih@gov.in, वेबसाईट-http://bspcb.bihar.gov.in

लोक–सुनवाई की सूचना

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533, दिनांक 14.09.2006 एवं यथा संशोधित अधिसूचनाओं के आलोक में राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के समक्ष निम्नलिखित बालू घाटों का गया जिला में प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रस्ताव विचाराधीन है:–

1. श्रीमती रिना सिंह, पता: ग्राम+पोस्ट– सोनबर्सा, थाना– ओबरा, जिला– औरंगाबाद द्वारा ब्लॉक: 35 (गया मोरहर– 22) बालू घाट, मोरहर नदी स्थित, ग्राम– झूरी, जोंडि, कुंभी, अंचल– बांके बाजार, जिला– गया; एवं
2. मेसर्स लक्षिता कंस्ट्रक्शन, प्रस्तावक: योगेन्द्र कुमार, पार्टनर, पता: माली, पररिया, जिला– औरंगाबाद द्वारा गया ब्लॉक: 34 (गया मोरहर– 21) बालू घाट, मोरहर नदी स्थित, ग्राम– सैफगंज, अंचल– बांके बाजार, जिला– गया।

इस परियोजना के कार्यान्वयन के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा TOR (Terms of Reference) निर्गत की गयी हैं तथा लोक–सुनवाई की जानी हैं।

परियोजना का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया गया हैं। जिसमें संभावित कुप्रभावों को निरस्त करने के उपाय प्रस्तावित हैं। उक्त प्रतिवेदन तथा परियोजना के कार्यपालक सार की प्रति पर्षद् मुख्यालाय, पटना, जिला पदाधिकारी, गया; कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, गया; महाप्रबंधक, जिला उधोग केन्द्र, गया एवं जिला खनन कार्यालय, गया के कार्यालय में प्रभावित क्षेत्र के लोगों के अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं। परियोजना की विवरणी का अवलोकन पर्षद् के वेबसाईट: http://bspcb.bihar.gov.in पर भी किया जा सकता है। वैसे व्यक्ति जो इस परियोजना से प्रभावित होने वाले हों, अपना लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य इस सूचना प्रकाशन के 30 (तीस) दिनों के अन्दर पर्षद् कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं। साथ ही पर्षद् के ई–मेल: msbspcb-bih@gov.in पर अथवा डाक के माध्यम से भी लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य भेजी जा सकती है।

परियोजना प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों के लिए लोक–सुनवाई निम्नानुसार आहूत किया गया है:–

कमांक	दिनांक:	समय	अंचल का नाम	बालू घाट का मौजा	बालू घाट का नाम	लोक–सुनवाई का स्थल
1.	17.11.2023	पूर्वाह्न 11:00 बजे	बांके बाजार जिला–गया	गया जिला अन्तर्गत झूरी, जोंडि, कुंभी	ब्लॉक: 35 (गया मोरहर– 22)	अंचल कार्यालय, बांके बाजार, जिला–गया
2.	17.11.2023	अपराह्न 02:00 बजे	बांके बाजार जिला–गया	सैफगंज	ब्लॉक: 34 (गया मोरहर– 21)	अंचल कार्यालय, बांके बाजार, जिला–गया

सभी आम लोगों/संबंधित से अनुरोध हैं कि उपरोक्त लोक–सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा निर्गत कोविड–19 गाईड–लाईन का पालन करते हुए परियोजना के संबंध में अपने मंतव्य/सुझाव/विचार से अवगत करायेगें।

PR. No. 009920 (Ni.Ni.) 2023-24

सदस्य सचिव

उक्त सूचना state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी देखी जा सकती है।

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।

Scanned with CamScanner

''लोक-सुनवाई''

''लोक-सुनवाई''

''लोक-सुनवाई''

''लोक-सुनवाई''

''लोक-सुनवाई''

''लोक-सुनवाई''

''लोक-सुनवाई''